

भारत सरकार/ Government of India  
राष्ट्रीय परीक्षण शाला  
उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
उपभोक्ता मामले विभाग

## National Test House

Ministry of Consumer Affairs Food & Public Distribution  
Department of Consumer Affairs



No. ADMN-AdmoATF/1/2023-Admin-HQ

## महानिदेशक का कार्यालय

सीपी ब्लॉक, सेक्टर - V, कोलकाता - 700091

कैम्प ऑफिस: कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद - 201002

## Office of the Director General

CP Block, Sector - V, Salt Lake, Kolkata - 700091

Camp Office: Kamla Nehru Nagar, Ghaziabad - 201002

Telephone: 033-2367 5387/ 3872, 0120-278 3270

E-mail: dgnth-wb@nic.in / dg-nth@nth.gov.in

दिनांक: 19.12.2024

सेवा में,  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी  
वेतन एवं लेखा कार्यालय,  
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,  
उपभोक्ता मामले विभाग,  
15, आर.एन. मुखर्जी रोड,  
कोलकाता – 700 001

### संस्वीकृति आदेश

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव, महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, श्री राजेश कुमार, वैज्ञानिक प्रभारी, रा.प.शा (अ.क्षे) गाजियाबाद एवं डॉ. अमरनाथ चक्रवर्ती, वैज्ञानिक सी (रासायनिक), रा.प.शा (द.क्षे), चैन्नई को 5 दिनों के सक्षमता उन्नयन कार्यक्रम हेतु जर्मनी भेजने के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह कार्यक्रम कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया – इन्स्टीच्यूट ऑफ लैटेस्ट टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग द्वारा क्यूआई फ्रेमवर्क के अंतर्गत आयोजित किया गया है, जो सोमवार 2 दिसंबर, 2024 से शुक्रवार 6 दिसंबर, 2024 तक (यात्रा अवधि को छोड़कर) संपन्न होगा।

विवरण इस प्रकार है :

क्रम सं.	बिल का विवरण	सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति संख्या एवं दिनांक	कुल राशि (₹)	मद (Head)	टिप्पणी
1	कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, 2 स्टेज, मगड़ी मेन रोड, विश्वनीदम डाकघर, बैंगलुरु- 560091, कर्नाटक, भारत। Invoice No. 29IQ24-2SSL02178 दिनांक 16.12.2024	3.मा.वि पत्र संख्या J- 11011/32/2020-NTH दिनांक 26.11.2024	₹12,92,100/- (बारह लाख बानवे हजार एक सौ रुपये मात्र) IGST @18% सहित	प्रशिक्षण व्यय (वैरयोजना शीर्ष) (3425.60.101.01.0.19) FY 2024-25	व्यय में प्रशासनिक शुल्क, होटल आवास, स्थानीय परिवहन आदि शामिल। बिल राशि Rs.4,30,700 x 3 = 12,92,100/-

उपरोक्त बिल की संपूर्ण प्रति आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु आपके कार्यालय को सौंपी जाती है।

10% TDS (194J) कटौती कार्यात्मक शीर्ष IT F/S के अंतर्गत की जाए एवं यह राशि उपभोक्ता मामले विभाग के पत्र संख्या J-  
11011/32/2020-NTH, दिनांक 26.11.2024, IFD डायरी संख्या 211/IFD/2024, दिनांक 03.10.2024 के अनुसार होगी।

इसे महानिदेशक, रा.प.शा के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(आतीश कुमार)

वैज्ञानिक सी (यांत्रिक) / प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी) मुख्यालय  
कृते महानिदेशक, रा.प.शा